

I

88

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड  
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना -4  
कार्यालय आदेश

संचिका सं० - खा०/रिवेट/86/100/2015-16/2016-17

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय ज्ञापांक-1088 दिनांक-14.03.2018 द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर 10% छूट दिया जाना है।

01. वर्ष 2015-16 का कुल 07 खादी संस्था/समितियों को संलग्न सूची (अनुलग्नक) के अनुसार उत्पादन के आधार पर रू० 12,63,954.00 (बारह लाख तीरसठ हजार नौ सौ चौवन) मात्र भुगतान करने हेतु, स्वीकृति दी जाती है।

02. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान संस्था/समितियों को बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

03. उक्त राशि का भुगतान संस्था/समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के रिवेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्थाओं द्वारा रिवेट की राशि Chartered Accountant से सत्यापित कराया गया है। जिसे खादी बोर्ड के P.M.A (Grant Thornton India LLP) द्वारा भी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ-साथ भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

05. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रुटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित संस्था/समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या संस्था/समिति को एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

ज्ञापांक 50/232 दिनांक-13/07/2018 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
पटना, दिनांक 12/7/18  
प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, ऋण/अंकेक्षण/रिवेट (योजना) बिहार राज्य  
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 50/232 दिनांक-13/07/2018 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
पटना, दिनांक 12/7/18  
प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिवेट दावा की राशि का भुगतान करेंगे। (अनुलग्नक सूची अनुसार)

ज्ञापांक 50/232 दिनांक-13/07/2018 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
पटना, दिनांक 12/7/18  
प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/मंत्री, संस्था/समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिवेट दावा  
में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर संस्था/समितियों की जिम्मेबारी होगी और उक्त  
राशि का संस्था/समिति से वसूलनीय होगी।


569 Office Order Khadi Board 2018

12/07


**बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड**  
**महेश भवन, गांधी मैदान पूरब, पटना 4**

**वर्ष 2015-16 का भुगतान (रिवेट दावा)**

क्र०	संस्था/समिति का नाम	उत्पादन का ऑकड़ा लाख रूपये में	रु० कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत रिवेट भुगतेय राशि
1	2	3	4
1	राजिक खादी ग्रामोद्योग संघ, ग्राम-शिवा, पो०-गनौली, भाया-अंधराढाडी, जिला-मधुबनी	10.52	105200.00
2	हबिबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एवं ग्रामोद्योग संघ, ग्राम-बैराघाट, पो०-सुगौना, भाया राजनगर, जिला-मधुबनी	64.39	643854.00
3	आशिक शिक्षित बेरोजगार विकास संघ, हबीब मंजिल, वार्ड नं०-09 मोमीन टोला, पो०-मधुबनी	14.27	142700.00
4	सादिक ग्रामीण विकास संस्थान, ग्राम+पो०+थाना-पंडौल, जिला-मधुबनी	8.51	85100.00
5	विकास समिति, जमुई	3.71	37100.00
6	शांडिल्य खादी ग्रामोद्योग आश्रम, 39/एफ० डेनवी रोड, पो०-लालबाग, कटहलबाड़ी, दरभंगा	11.00	110000.00
7	रमा खादी ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम+पो०-मनीगाछी, जिला-दरभंगा-847422	14.00	140000.00
<b>कुल योग :-</b>		<b>126.40</b>	<b>1263954.00</b>

  
12-07-18

  
12/7/18

  
12/7/18